

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 1070/2024

सुलेमान पुत्र श्री मोहम्मद उमर, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी मुसलमान, निवासी दर्पण सिनेमा के पीछे, गली हज हाउस के पास कच्चा झोपड़ा, थाना उदयमंदिर, जोधपुर

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से
2. संभागीय आयुक्त, जोधपुर
3. पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पश्चिम

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री राजेश व्यास
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	श्री श्री राम चौधरी, स.रा.अ.

माननीय श्रीमान न्यायाधीश फरजंद अली

आदेश

प्रकाशनीय

06/03/2025

1. इस रिट याचिका के माध्यम से, आपराधिक प्रकरण संख्या 37/2019 में पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पश्चिम के न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 31-03-2021 के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ता को पुलिस आयुक्त, जोधपुर के क्षेत्र से बाहर जाने का निर्देश दिया गया है और यह भी निर्देश दिया गया है कि वह एक महीने की अवधि के लिए पुलिस अधीक्षक, बाड़मेर के कार्यालय में

अपनी साप्ताहिक उपस्थिति दर्ज कराएगा और वह सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना पुलिस आयुक्तालय, जोधपुर में प्रवेश नहीं करेगा।

2. मैंने पक्षों के वकील को सुना है और दिनांक 31-03-2021 के आदेश और याचिका के साथ संलग्न अन्य सामग्री का अध्ययन किया है।

3. मामले का सार यह है कि उदयमंदिर पुलिस स्टेशन के प्रभारी की ओर से जोधपुर के पुलिस उपायुक्त के समक्ष दिनांक 05-11-2019 को एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ राजस्थान गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1975 (जिसे आगे 'गुंडा अधिनियम' कहा जाएगा) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी। विद्वान पुलिस उपायुक्त ने एक तथ्य का अवलोकन किया कि याचिकाकर्ता को जुआ अध्यादेश के दंडात्मक प्रावधानों के तहत अपराध करने के लिए दो मौकों पर दोषी ठहराया गया था। चुनौती दिए गए आदेश के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता को 31-01-2019 को दोषी ठहराया गया था और जुर्माने की सजा सुनाई गई थी और एक बाद के अवसर पर, उसे जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। दिलचस्प बात यह है कि चुनौती दिए गए आदेश में किसी अन्य दोषसिद्धि या लंबित मामलों की सूची का उल्लेख नहीं है।

4. अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, सबसे पहले गुंडा अधिनियम के प्रावधानों की जाँच करना आवश्यक है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम के तहत किसे 'गुंडा' माना या कहा जा सकता है। त्वरित संदर्भ के लिए, गुंडा अधिनियम की धारा 2(ख) के तहत 'गुंडा' की परिभाषा नीचे दी गई है:-

“(ख) "गुंडा" का अर्थ है वह व्यक्ति जो:-

(i) या तो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या नेता के रूप में, आदतन ऐसे अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिए

उकसाता है, जो अध्याय XVI, अध्याय XVII या अध्याय XXII या भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम XLV) या भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 290 से 294 के अंतर्गत दंडनीय हैं; या

(ii) महिलाओं एवं बालिकाओं के अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (अधिनियम सं. 104, 1956) के अंतर्गत दोषी ठहराया गया हो;

या

(iii) राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (राजस्थान अधिनियम संख्या 11, 1950) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो; या

(iv) अफीम अधिनियम, 1878 (केंद्रीय अधिनियम संख्या 1, 1878) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो; या

(v) राजस्थान सार्वजनिक जुआ अध्यादेश, 1949 (राजस्थान अध्यादेश संख्या 48, 1949) के अंतर्गत कम से कम दो बार दोषी ठहराया गया हो; या

(vi) महिलाओं या लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी करने या उन्हें छेड़ने की आदत पाई गई हो; या

(vii) हिंसा या बल प्रदर्शन द्वारा कानून का पालन करने वाले लोगों को धमकाने का आदी पाया गया है; या

(viii) दंगा-फसाद या शांति भंग करने, दंगा करने का आदी है, या जो जबरन चंदा इकट्ठा करने या अपने या दूसरों के लिए अवैध आर्थिक लाभ के लिए लोगों को धमकाने का आदी है, या जो लोगों या संपत्ति को खतरा या नुकसान पहुँचाने का आदी है।

स्पष्टीकरण—इस खंड में किसी व्यक्ति के संबंध में जहाँ भी 'आदतन' या 'आदी' शब्दों का प्रयोग किया गया है, का अर्थ है ऐसा व्यक्ति, जिसने धारा 3 के अंतर्गत किसी कार्रवाई के प्रारंभ होने से ठीक पहले छह महीने की अवधि के दौरान, कम से कम तीन अवसरों पर उप-खंड (i), (vi) या (viii) में निर्दिष्ट अपराध या कार्य किए हैं।”

प्रावधान के एक छोटे से अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी व्यक्ति को "गुंडा" माना जा सकता है यदि वह ऊपर उल्लिखित किसी भी उप-धारा के अंतर्गत आता है।

5. अब हम गुंडों के निष्कासन और गुंडा अधिनियम में उल्लिखित निष्कासन आदेश कैसे पारित किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। संदर्भ की सुविधा के लिए, गुंडा अधिनियम की धारा 3 नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:-

“3. गुंडों का निष्कासन आदि

(1) जहां जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि:

क) कि कोई व्यक्ति गुंडा है; और

(ख) (i) कि जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियाँ या कार्य व्यक्तियों या संपत्ति को खतरा या क्षति पहुँचा रहे हैं या पहुँचाने के लिए नियोजित हैं; या

(ii) कि यह मानने के उचित आधार हैं कि वह जिले या उसके किसी भाग में धारा 2 के खंड (ख) के उपखंड (i) से (viii) में निर्दिष्ट किसी अपराध या कार्य को करने या उकसाने में संलग्न है या संलग्न होने वाला है; और

(ग) कि गवाह अपनी ओर से अपने व्यक्ति या संपत्ति की सुरक्षा के संबंध में आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं; जिला मजिस्ट्रेट लिखित रूप में उसे उपरोक्त खंड (क), (ख) और (ग) के संबंध में उसके विरुद्ध लगाए गए भौतिक

आरोपों की सामान्य प्रकृति से अवगत कराएगा और उसे उनके संबंध में स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर देगा।

(2) जिस व्यक्ति के विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश दिए जाने का प्रस्ताव है, उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और अपना बचाव कराने का अधिकार होगा और उसे, यदि वह चाहे तो, स्वयं के परीक्षण करने का, और किसी अन्य साक्षी का परीक्षण करने का या कोई सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत करने का, जिसे वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहे, उचित अवसर दिया जाएगा, जब तक कि लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से जिला मजिस्ट्रेट की यह राय न हो कि अनुरोध तंग करने या विलम्ब करने के उद्देश्य से किया गया है।

(3) तत्पश्चात्, जिला मजिस्ट्रेट, यह समाधान हो जाने पर कि उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में विनिर्दिष्ट शर्तें विद्यमान हैं, लिखित रूप में आदेश दे सकेगा।

(क) उसे निर्देश दे कि वह जिले या उसके किसी भाग से, यथास्थिति, ऐसे मार्ग, यदि कोई हो, बाहर चला जाए और आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर, और जिले या उसके निर्दिष्ट भाग में प्रवेश न करे जब तक कि आदेश में निर्दिष्ट छह महीने से अधिक की अवधि समाप्त न हो जाए।

(ख) (i) ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा कर सकता है कि वह अपनी गतिविधियों की सूचना दे, या खुद रिपोर्ट करे, या दोनों कार्य, ऐसे तरीके से, ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को करे, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है,

(ii) उसके द्वारा किसी भी ऐसी वस्तु के कब्जे या उपयोग को निषिद्ध या प्रतिबंधित कर सकता है, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जा सकता है;

(iii) उसे अन्यथा आदेश में निर्दिष्ट तरीके से आचरण करने का निर्देश दे सकता है; जब तक कि आदेश में निर्दिष्ट छह महीने से अधिक की अवधि समाप्त न हो जाए।

6. गुंडा अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, किसी गुंडे के निर्वासन आदि का आदेश जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया जा सकता है जिसके तहत उसके समक्ष यह लाया जाता है कि प्रावधान के तहत उल्लिखित सभी तीन शर्तें पूरी होती हैं, जो हैं कि व्यक्ति गुंडा अधिनियम की धारा 2(ख) के तहत एक "गुंडा" है और जिले या उसके किसी भी हिस्से में उसकी गतिविधियाँ या कार्य व्यक्तियों या संपत्ति को भय, खतरा या नुकसान पहुँचा रहे हैं या पहुँचाने की योजना बना रहे हैं या यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह जिले या उसके किसी भी हिस्से में गुंडा अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) के उप-खंड (i) से (viii) में निर्दिष्ट किसी अपराध या कार्य को करने या उकसाने में लगा हुआ है या लगाने वाला है और अंत में, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिला मजिस्ट्रेट को यह भी संतुष्ट होना आवश्यक है कि गवाह उसके खिलाफ साक्ष्य देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं शायद अपनी सुरक्षा या अपनी संपत्ति की आशंका के कारण या अपनी बदनामी या नापाक गतिविधियों में शामिल होने के डर से।

7. उपरोक्त प्रावधान पर एक नज़र डालने से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि गुंडा अधिनियम की धारा 3 के खंड (i) में, (क), (ख) और (ग) के रूप में दर्शाई गई तीन आकस्मिकताएँ शामिल हैं। पहली शर्त इस बात की संतुष्टि से संबंधित है कि व्यक्ति "गुंडा" है, और इसके बाद "और" शब्द का प्रयोग शामिल किया गया है। खंड इंगित करता है कि निर्वासन का आदेश पारित करने से पहले न केवल खंड (क) बल्कि खंड (ख) और (ग) को भी संतुष्ट किया जाना आवश्यक है, इसलिए, इस मामले पर आगे चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस मामले में गुंडा अधिनियम की धारा 3(1) के खंड (ख) और (ग) के बारे में कोई चर्चा नहीं है और विद्वान डीसीपी ने चुनौती के तहत

आदेश पारित किया है, केवल एक निष्कर्ष के आधार पर कि याचिकाकर्ता एक "गुंडा" है।

8. गुंडा अधिनियम की धारा 3 को सीधे पढ़ने से यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि गुंडों के निर्वासन का आदेश पारित करने से पहले, जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में भी स्वयं को संतुष्ट कर ले। केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को "गुंडा" माना जाता है, उसे किसी विशेष क्षेत्र से बाहर निकालने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि गुंडा अधिनियम की धारा 3(1) के खंड (ख) और (ग) में उल्लिखित अन्य शर्तें पूरी न हो जाएं। चूँकि, गुंडा अधिनियम की धारा 3(1) के खंड (ख) और (ग) के संबंध में कोई संतुष्टि नहीं है, इसलिए, चुनौती के तहत आदेश कानून की दृष्टि में गलत है, इसलिए, इस साधारण कारण से इसे रद्द करने और रद्द करने योग्य है।

9. चुनौती दिए गए आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि विद्वान जिला मजिस्ट्रेट ने राजस्थान द्यूतकर्म अध्यादेश के तहत दो मौकों पर दोषसिद्धि के आधार पर गुंडा अधिनियम की धारा 3 के तहत एक आदेश पारित किया है, हालाँकि, वह इस कानूनी बाधा को नोटिस करने में विफल रहे कि किसी व्यक्ति को केवल "गुंडा" कहना ही जिले या उसके किसी भी हिस्से से निष्कासन का आदेश पारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी कुछ शर्तें होनी चाहिए जो उसके गुंडा होने के तथ्य से जुड़ी हों। गुंडा और इस आशय की एक और संतुष्टि होनी चाहिए कि क्षेत्र में अभियुक्त की गतिविधि किसी भी व्यक्ति को चेतावनी, खतरा या नुकसान पहुंचा रही है और इसके लिए ठोस सामग्री के आधार पर एक और संतुष्टि की आवश्यकता है कि गुंडा

अधिनियम की धारा 2 के खंड (ख) के उप-खंड (i) से (viii) के तहत अपराध के कमीशन के संबंध में उसकी भागीदारी पर विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं। निर्वासन का आदेश पारित करने से तुरंत पहले, विद्वान जिला मजिस्ट्रेट को इस तथ्य के बारे में खुद को और अधिक संतुष्ट करने की आवश्यकता होती है कि गवाह उसकी बदनामी या डर या धमकी के कारण उसके खिलाफ सबूत देने के लिए आगे आने को तैयार नहीं हैं। इस प्रकार, विद्वान जिला मजिस्ट्रेट के लिए यह अनिवार्य है कि वह इस आशंका को संतुष्ट करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ मजबूत सामग्री दर्ज करें कि गवाह उसके खिलाफ आगे नहीं आ रहे हैं क्योंकि वह एक खतरनाक व्यक्ति है या उसके खिलाफ सबूत देने से उन्हें परेशानी हो सकती है। असंतोष आपराधिक शिकायत में दिए गए स्पष्ट या अस्पष्ट बयान पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि, ज़िले से निर्वासन का आदेश देने से पहले संबंधित ज़िला मजिस्ट्रेट के लिए इस मामले में सबूत लेना ज़रूरी है।

10. उपरोक्त विवेचना के आलोक में, यह न्यायालय इस रिट याचिका को स्वीकार करना उचित समझता है और एतद्वारा स्वीकार किया जाता है। आपराधिक प्रकरण संख्या 37/2019 में प्रतिवादी संख्या 3 पुलिस उपायुक्त, जोधपुर पश्चिम द्वारा पारित दिनांक 31.03.2021 के आदेश को एतद्वारा निरस्त एवं अपास्त किया जाता है।

(फरजंद अली),जे

70-ममता/-

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी